

**RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR**  
**Projects by Law Students**



**Under the guidance of**

**Chairperson ,  
Justice N.K. Jain  
(Former Chief Justice  
High Court of Madras & Karnataka)**

**With best Compliments  
RSHRC**

# RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION



**Under the guidance  
of Hon'ble Mr.  
Justice N.K. Jain.**  
(Former Chief justice of  
Madras and Karnataka  
High Court)  
Chairperson, RSHRC

**Prepared by:-  
Internship students of  
various law  
university and  
colleges.**

Hon'ble Chairperson and  
Members Of Rajasthan  
State Human Rights  
Commission are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain,  
Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

3



*Hon'ble Chief Minister Shri Ashok Gehlot*



# RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION JAIPUR

## Project

on

## Domestic Violence



With kind inspiration from **Hon'ble  
Mr. Justice Nagendra Kumar Jain.**

(Former Chief justice of Madras and Karnataka  
High Court)

Chairperson - R.S.H.R.C

**Sushila Choudhary**

B.A. L.L.B. (Hons.) 2<sup>nd</sup> year

FYILC, Deptt. Of Law, UOR

Jaipur , Rajasthan

Mob- 9660505550

E-Mail: [sushilachoudhary75fylc2008@rediff.com](mailto:sushilachoudhary75fylc2008@rediff.com)

**Nivedita Soni**

B.A. L.L.B. (Hons.) 2<sup>nd</sup> year

FYILC, Deptt. Of Law, UOR

Jaipur , Rajasthan

Mob- 9461571274

E-Mail: [niveditasoni9@gmail.com](mailto:niveditasoni9@gmail.com)

**DOMESTIC  
VIOLENCE**




# What is domestic violence?

Domestic Violence can be described as when one adult in a relationship misuses power to control another. It is the establishment of control and fear in a relationship through violence and other forms of abuse. The violence may involve physical abuse, sexual assault and threats. Sometimes it's more subtle, like making someone feel worthless, not letting them have any money, or not allowing them to leave the home. Social isolation and emotional abuse can have long-lasting effects as well as physical violence.

# What are the forms of Domestic Violence?

- (a) harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or wellbeing, whether mental or physical, of the aggrieved person (woman) or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse; or
- (b) harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person (woman) with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demands for any dowry or other property or valuable security; or
- (c) has the effect of threatening the aggrieved person (woman) or any person related to her by any conduct mentioned in clause (a) or clause (b); or
- (d) otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person (woman).



# Scope of the problem

- ▣ The family– a place where individuals seek love, safety, security, and shelter. But the evidence shows that it is also a place that imperils lives, and breeds some of the most drastic forms of violence perpetrated against women and girls.
- ▣ Violence in the domestic sphere is usually perpetrated by males who are, or who have been, in positions of trust and intimacy and power – husbands, boyfriends, fathers, fathers-in-law, stepfathers, brothers, uncles, sons, or other relatives.



# Factors That Perpetuate Domestic Violence

## *Cultural*

- ▣ Gender-specific socialization
- ▣ Cultural definitions of appropriate sex roles
- ▣ Expectations of roles within relationships
- ▣ Belief in the inherent superiority of males
- ▣ Notion of the family as the private sphere and under male control
- ▣ Customs of marriage (bride price/dowry) \_
- ▣ Acceptability of violence as a means to resolve conflict

# *Economic*

- ▣ Women's economic dependence on men
- ▣ Limited access to cash and credit
- ▣ Discriminatory laws regarding inheritance and property rights
- ▣ communal lands, and maintenance after divorce or widowhood
- ▣ Limited access to employment in formal and informal sectors
- ▣ Limited access to education and training for women

# *Legal*

- ▣ Lesser legal status of women either by written law and/or by practice
- ▣ Laws regarding divorce, child custody, maintenance and inheritance
- ▣ Legal definitions of rape and domestic abuse
- ▣ Low levels of legal literacy among women
- ▣ Insensitive treatment of women and girls by police and judiciary

# *Political*

- ▣ Under-representation of women in power, politics and the media
- ▣ legal and medical professions
- ▣ Domestic violence not taken seriously
- ▣ Notions of family being private and beyond control of the state
- ▣ Risk of challenge to status quo/religious laws
- ▣ Limited organization of women as a political force
- ▣ Limited participation of women in organized political system

# Consequences

- ▣ Health consequences
  - A. Non fatal outcomes
    - I Physical health outcomes
    - II Mental health outcomes
  - B. Fatal outcomes
    - I Suicide
    - II Homicide
    - III Maternal moterlity
    - IV HIV / AIDS



# Effects on children :

- 1) Children can themselves get physically abused or hurt.
- 2) Witnessing violence actions can be mentally damaging
- 3) Children often try to intervene to protect the adult victim, which puts them in a dangerous situation
- 4) Children can copy the violent behavior they witness, both as children and as adults
- 5) They may develop stress-related problems in health
- 6) They can lose self-confidence, be afraid/angry, and blame themselves for what is happening or feel guilty.



# Why a legislation for domestic violence?

- ❑ Domestic violence is among the most prevalent and among the least reported forms of cruel behaviour.
- ❑ Till the year 2005, remedies available to a victim of domestic violence in the civil courts (divorce) and criminal courts (vide Section 498A of the Indian Penal Code) were limited. There was no emergency relief available to the victim; the remedies that were available were linked to matrimonial proceedings; and the court proceedings were always protracted, during which period the victim was invariably at the mercy of the abuser.
- ❑ Also the relationships outside marriage were not recognised. This set of circumstances ensured that a majority of women preferred to suffer in silence. It is essentially to address these anomalies that the Protection of Women from Domestic Violence Act was passed.

# Who are the primary beneficiaries of this Act?

- ▣ Women and children.
- ▣ Section 2(a) of the Act will help any woman who is or has been in a domestic relationship with the 'respondent' in the case. It empowers women to file a case against a person with whom she is having a 'domestic relationship' in a 'shared household', and who has subjected her to 'domestic violence'.
- ▣ Children are also covered by the Act; they too can file a case against a parent or parents who are tormenting or torturing them, physically, mentally, or economically. Any person can file a complaint on behalf of a child.

# Who is defined as 'respondent' by this law?

- ▣ Section 2 (q) states that any adult male member who has been in a domestic relationship with the aggrieved person is the 'respondent'. The respondent can also be a relative of the husband or male partner .Thus, a father-in-law, mother-in-law, or even siblings of the husband and other relatives can be proceeded against.

# How does the new law define domestic abuse?

- ▣ Section 3 of the law says any act/conduct/omission/commission that harms or injures or has the potential to harm or injure will be considered 'domestic violence'.
- ▣ Under this, the law considers physical, sexual, emotional, verbal, psychological, and economic abuse or threats of the same.
- ▣ Even a single act of commission or omission may constitute domestic violence — in other words, women do not have to suffer a prolonged period of abuse before taking recourse to the law.

# How does the law ensure that a wife who takes legal recourse in the event is not intimidated or harassed?

- ▣ An important aspect of this law is that it aims to ensure that an aggrieved wife, who takes recourse to the law, cannot be harassed for doing so.
- ▣ If a husband is accused of any of the above forms of violence, he cannot during the pending disposal of the case prohibit/restrict the wife's continued access to resources/ facilities to which she is entitled by virtue of the domestic relationship, including access to the shared household. In short, a husband cannot take away her jewellery or money, or throw her out of the house while they are having a dispute.

# What are the main rights of a woman as recognised by this law?

- ❑ The law recognizes a woman's right to reside in the shared household with her husband or a partner even when a dispute is on .
- ❑ It legislates against husbands who throw their wives out of the house when there is a dispute. Such an action by a husband will now be deemed illegal, not merely unethical.
- ❑ Even if she is a victim of domestic violence, she retains right to live in 'shared homes' that is, a home she shares with the abusive partner.
- ❑ Section 17 of the law, which gives all married women or female partners in a domestic relationship the right to reside in a home that is known in legal terms as the shared household, applies whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same.

- ▣ The law provides that if an abused woman requires, she has to be provided alternate accommodation and in such situations, the accommodation and her maintenance has to be paid for by her husband or partner.
- ▣ The law, significantly, recognizes the need of the abused woman for emergency relief, which will have to be provided by the husband. A woman cannot be stopped from making a complaint/application alleging domestic violence. She has the right to the services and assistance of the Protection Officer and Service Providers, stipulated under the provisions of the law.
- ▣ A woman who is the victim of domestic violence will have the right to the services of the police, shelter homes and medical establishments. She also has the right to simultaneously file her own complaint under Section 498A of the Indian Penal Code.

- ▣ Sections 18-23 provide a large number of options for legal redressal. She can claim through the courts Protection Orders, Residence Orders, Monetary Relief, Custody Order for her children, Compensation Order and Interim/ Ex parte Orders.
  
- ▣ If a husband violates any of the above rights of the aggrieved woman, it will be deemed a punishable offence. Charges under Section 498A can be framed by the magistrate, in addition to the charges under this Act. Further, the offences are cognizable and non-bailable. Punishment for violation of the rights enumerated above could extend to one year's imprisonment and/or a maximum fine of Rs 20,000

# Protection of Women and Fundamental Rights

The Statement of Objects and Reasons declares that the Act was being passed keeping in view the fundamental rights guaranteed under Articles 14, 15 and 21.

## 1. **The right to be free of violence::**

*In Francis Coralie Mullin v. Union Territory Delhi, Administrator*

- ▣ The Supreme Court stated, any act which damages or injures or interferes with the use of any limb or faculty of a person, either permanently or even temporarily, would be within the inhibition of Article 21.
- ▣ This right is incorporated in the Act through the definition of physical abuse, which constitutes domestic violence (and is hence punishable under the Act). Physical abuse is said to consist of acts or conduct of such nature that they cause bodily pain, harm, or danger to life, limb or health, or impair the health or development of the aggrieved person . Apart from this, the Act also includes similar acts of physical violence and certain acts of physical violence as envisaged in the Indian Penal Code within the definition of domestic violence. By adoption of such an expansive definition, the Act protects the right of women against violence.

## 2. The right to shelter

In *Chameli Singh v. State of U.P.*

- ▣ it was held that the right to life would include the right to shelter. Ss. 6 and 17 of the Domestic Violence Act reinforce this right.
- ▣ Under S.6, it is a duty of the Protection Officer to provide the aggrieved party accommodation where the party has no place of accommodation, on request by such party or otherwise.
- ▣ Under S.17, the party's right to continue staying in the shared household is protected. These provisions thereby enable women to use the various protections given to them without any fear of being left homeless.

# Where the Act Fails?

- ❑ The Act brushes aside male children and does not extend its protection to male children.
- ❑ An aggrieved person as defined by the Act, is a woman who is, has been in domestic relationship with the respondent. While the Act does define a child as any person below the age of eighteen years, the definition of domestic violence itself refers at all stages only to an aggrieved party and not to a child; the only relevant place in which a child is mentioned is S.18(c), where it is stated that a Magistrate may pass a protection order restraining the respondent from entering the school of the child where the aggrieved person is a child. This in itself is not sufficient to construe the Act as applicable to male children as well.

## महिला उत्पीड़न निवारण कमेटी स्कूलों में हो

आयोग ने दिए आदेश  
कार्यालय संवाददाता @ जयपुर

राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटी बनाने को कहा है। इसकी जिम्मेदारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों, सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दी है।

आयोग ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में महिला उत्पीड़न की शिकायतों को देखते हुए यह आदेश दिया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के विशाखा मामले में निर्देशों के बावजूद अधिकतर शिक्षण संस्थानों खासकर स्कूलों में इस तरह की कमेटी नहीं बनी है।

आयोग में पिछले दिनों मानसरोवर स्थित सेंट एंसलम्स स्कूल व महावीर विद्यालय से शिकायतें आई थीं। सीमा सारस्वत को तो साथी कर्मचारी के बारे में आयोग में शिकायत करने पर सेंट एंसलम्स स्कूल से निकाल दिया गया था, आयोग में सुनवाई के दौरान विद्यालय प्रशासन ने बताया कि उनके यहां महिला उत्पीड़न निवारण कमेटी बनी हुई है और महिला कर्मचारी का साथी आरोपी कर्मचारी भी नौकरी छोड़ गया, लेकिन आयोग के अनुसार कमेटी का पर्याप्त प्रचार नहीं है। नियमानुसार कमेटी में आधी से ज्यादा महिला होनी चाहिए, अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, स्वयंसेवी संगठन प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए, इसकी कर्मचारियों को पर्याप्त सूचना दी जाए।

## घरेलू हिंसा पर सेमीनार

जयपुर, कासं। राजस्थान विश्वविद्यालय के पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम की ओर से शक्रवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय मानवाधिकार के उभरते आयाम एवं घरेलू हिंसा से संबंधित कानून था। सेमिनार का उद्घाटन राज्य मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन ने किया। विधि पाठ्यक्रम की निर्देशक, प्रो. मृदुल श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। सेमिनार का आयोजन दो भागों में किया गया जिसमें कई विधार्थियों ने भाग लिया। इस सेमिनार के आयोजन का प्रमुख विधार्थी में अनुशासन व सामाजिक जागरूकता विकसित करना था। सेमिनार में घरेलू हिंसा को दर्शाते हुए एक नाटक का भी आयोजन किया जिसका निर्देशन प्रीति ने किया।

# मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छोड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी

इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेंडर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाए हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 76 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर भी प्रकाशित किया जाता है,

जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इयके गठन से ही यह प्रयास रस हेनिक राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित मात्र से कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह सभी है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के खनन से बचाने के लिए यह प्रयाोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सेवा थी कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट/सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों को अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो नृशासन में ही मददगार है। अब उनकी सेवा में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आयोग द्वारा शिकायतों को सुनवाई की प्रक्रिया में संशोधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर लॉजिकल कन्क्लूजन से इनका निस्तारण करने के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समूह लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के खनन को रोकने में सक्षम हैं, किन्तु हमें हर वजह खासतौर पर पीड़ित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए जो अल्प मात्र बर्से रखरकर सेवा माव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सदभावना से कार्य करना होगा।



# मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

इज नो एक्सक्लूज्ड परन्तु हर किसी को कानून की समपूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विविध कानून विषयों पर लेख/ कई बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं, जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य की विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों व कई व्यक्तियों द्वारा अपने प्रियजनों की मदद में पुनः प्रकाशित करवाया गया। कुछ बुकलेट्स जैसे महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, वदंतों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी/एड्स, सूमन राइट्स की 70000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को विस्तारित किया। इस पुनीत कार्य के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयोग उनके इस कार्य की भुरि-भुरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'नैसासिक न्यूजलेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यक्रमों की अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन 60 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और अभी बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन अधिकारों के बारे में गिरेले कुछ वर्षों से ही चर्चा हो रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अस्तित्व होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक आर्टिकल- 51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और सतक्य के साथ उतारे, तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति देश का सच्चा और अछड़ा नागरिक बनेगा तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भावना प्रबल होगी। मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51 ए की भाषा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने कार्य के साथ-साथ इस जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनकी बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदर भाव एवं अच्छे संस्कार बनें। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पितता की भावना जागृत हो।

कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ़ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायापालिका। तीनों ही स्तंभ अपने-अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इनमें कोई छेदा-बड़ा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। अतः सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एच से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिए गए हैं। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को तो संविधान में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की भाषा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल- 51 ए के माध्यम से जोड़ा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। तबहा लगत है कि 'इन्फोर्मेंस ऑफ ला' की भावना का अधिकार से अधिक विकास होगा।

## मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ

भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51 ए में हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए कहा गया है। संविधान का आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्वयं का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वयं का अर्थ देश की आन-बान और शान का प्रतीक है। इसके तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः बलिदान, शांति और प्रगति के प्रतीक हैं और यथ्य में नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और सद्गुण के महत्व को समझते हैं वे तो अलिट्ट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते हैं, परन्तु आज हम देख रहे हैं कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह-जगह कागज और प्लास्टिक के सद्गुण ध्वज रहे हैं तथा लोग इसे खरीद भी रहे हैं। परन्तु इन ध्वजों को खरब हो जाने पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गालों पर तिरंगे बगवाते हैं तथा तहमद की तरह लपेटते हैं और जीतने की खुशी का इन्हें बस तरह से करते हैं कि तिरंगा जमीन और पानी में आ जाता है, जबकि किसी भी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर भारतीय तिरंगे कहराते हुए राष्ट्रगान बजाने पर भी ध्यान नहीं जाता है या वे इसे इसके प्रति गंभीर नहीं है। अतः हमें इस प्रकृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किसी अन्य विशेष अवसर पर राष्ट्रगान बजने पर हमें संविधान की मुद्रा में खड़े होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नयकों ने भारत छोड़ो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्य न्यायवाच करने जैसे अनेकानेक आंदोलन चलाए थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को स्वतंत्र भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमें देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला और भ्रष्टाचार मिटाने जैसे ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी साम्प्रदायिक संघर्ष बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शों की पालना आज के समय को सबसे बड़ी समान है।

हमारी वस्तु संवेद से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नहीं रही तो धरती का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें संविधान की भाषा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और तट्य जमीन की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे जीवन से खेलेने के समान है।

# मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह-जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग-विभेद के नाम पर लोग एक-दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह समाज और देश के लिए अत्यंत घातक है। धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी। आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाने हुए सभी धर्मों का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई-बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्म: और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आधारभूत सिद्धान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्हीं सिद्धान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कही गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात् जहां दया है, वही धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया रखे और हिंसा से दूर रहे। सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक हैं। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे थकेल रहे हैं। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें स्वयं ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वंस है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनियों, धर्म गुरुओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरुओं द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी विचारों का तैयार होना से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकैट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है। भाईचारे की भावना और एक-दूसरे के सुख-दुःख

में भागीदारी हमारे देशवासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परम्पर भाईचारा धर-परिवार व बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। हमें स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ-साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई जा रही गतिविधियों में भी बढ़बढ़ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हर मां-बाप अपने बच्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पाठ्यादि करवाकर बढ़ा आदमी, पढ़ाई वाला,



पञ्जायतन एवं मनसोविद्या आश्रम, प्रयतु

स्टेड्स वाला बनाना चाहते हैं। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टीलीजेंट व अच्छा आईव्यू रखने वाला है। पर मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कंप्यूटर संस्कार नहीं दे सकता। संस्कार तो मां-बाप के आचरण व गुरुजनों से ही प्राप्त होते हैं, परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे हैं, जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे हैं। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 51ए में निहित हैं। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां-बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल 51 ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाए।

हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के सभी धर्म और साम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरु भी आमजन को सद्गुणों, मर्यादित जीवन के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे रहे हैं। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ हमारे संविधान के

आर्टिकल-51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्म, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही भावने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। आज एक तरफ तो देश में ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे हैं और कुछ/महानुभाव देश-विदेश के समृद्ध लोगों की लिस्ट में सुमार है और उच्च स्तर की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनी से ही शोषित हो रहा है, जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ-साथ इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढ़ावा व जानवरों की तस्करी, महिलाओं-बच्चों एवं मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, बुजुर्गों, महिला व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है। यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है, सिनेमा और टीवी पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ-साथ, इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों की निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्पक्ष के साथ करना होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालूम है, परन्तु क्रियान्विति की कमी है।

इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं शुद्धि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरु, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया की समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्ष के साथ काम करे। लोग अपने कर्तव्यों को समझे, उनकी पालना करें, जिससे उनके अन्तःकरण में परिवर्तन के साथ-साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

## अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी निभाएं

**अ**

न्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। जहाँ तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी-भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में सिर्फ संप्रदात वर्ग का ही जुड़ना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गाँव ढाणों की आम जनता तक को इससे जोड़ना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सके। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ 19994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा 2000 में अग्र्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुनर्गठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के तारे मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीड़ित के अधिकारों का हनन रोका जा सके। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग खासतौर पर पीड़ित, दलित उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहाँ रुक कर उसको मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएँ और बहाना बनाए कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उर्ध्व अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहाँ तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसन्नान लेता है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक दुराग्र्यों व कुरीतियों को सकारात्मक सौच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, वहाँ जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों को तब समझानी पड़ रही है, जबकि देश पूरी तरह से

स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुल लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह आयोग जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं कहाँ जा सकती। आयोग में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढ़ावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 प्राप्त परिवादों में से 9418 परिवादों का नरिस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवाद दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कांजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़े गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों को पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा।

### अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस



का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए हैं, कांजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हाँ, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़े गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढ़ी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य है, दोनों को पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफल हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिड़िया कहलाएगा।

## जागरूकता की जरूरत

**बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। रानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश की कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।**

अजमेर रिपोट  
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मुद्रें व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में

आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राष्ट्रस के प्रति लोगों की अवेयरनेस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैल्यू ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइट्स जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियोला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफिया कॉलेज की व्याख्याता संस्था रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरिना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।



सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि। जस्ट अजमेर

# मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

## मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर



मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।

# हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

## पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन,

ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

# महिलाओं की दयनीय स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

जोधपुर, (निसं)। आज से कानून एवं महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना... विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जयनारायण विश्वविद्यालय एवं महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। महिला महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुई इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति डॉ. लोकेश कुमार शेखावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष

डी.एल. जोहर ने की। संगोष्ठी के निदेशक विधि संकाय के प्रो. रामनिवास शर्मा ने बताया कि आदिकाल से पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। वैदिक काल को छोड़कर स्मृति काल से देश के स्वतंत्र होने तक महिलाओं का स्तर व स्थिति दोगम दर्जे की रही है और महिला ज्यादातर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुष पर निर्भर रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जारी होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रथम बार हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सदस्य राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। सुधार को तेजी से अप्रेषित करने के उद्देश्य से 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कन्वेंशन को संघ के सभी सदस्य राष्ट्र को सहमति से लागू किया।





## आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यों की निरन्तर मोनिटरिंग करने बाबत निर्देश

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे- मंदबुद्धि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्धि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारु योजना लागू ना हो, ऐसे पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत उन्हें लाभान्वित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सडकों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिक्रमणों की रोकथाम के साथ-साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारु एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह रथलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र मे बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय-समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मशीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख-रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित/ किडनी पेशेंट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाएँ सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांसफार्मर को सुव्यवस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सडकों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने-लेजाने वाले ऑटो- टेम्पों, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टर्स का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं।



इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा- निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतों पर अन्य संस्थाएँ बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय-समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ-साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग दें जिससे काम में पारदर्शता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."

"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"

- Mahatma Gandhi

# Conclusion

- ▣ A strong crusade against domestic violence could be launched only when we try to implement the already-existing measures.
- ▣ Making more laws is not the only solution. Its only when we are sincere in our efforts at the grassroots level also, we can expect a change to happen. It is through a collective determination to support women's rights not only 'outside' but also 'inside' the hitherto restricted boundary of home, that we can attain the objective of destroying the well-embedded thorns of domestic violence from our society.

# How the duties can minimise domestic violence

- ▣ Duties and rights are related to each other.
- ▣ Duties of a person is Rights of other.
- ▣ If respondents discharge their duties properly then the rights of the victims of domestic violence will automatically be protected e. g. a women have some rights like right to be free of violence, right to dignity, right to shelter under Article 21 of the Constitution and if their husbands discharge their duties without violating the rights of women then the domestic violence can be eradicated.
- ▣ If protection officers and service providers discharge their duties then also women's rights can be protected.

# Legal Awareness Programmes

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in) and [justicenagendrarakjain.com](http://justicenagendrarakjain.com). English translation of Some booklets are also available on a German website [herenow4u.de](http://herenow4u.de).
- These books are:

# 31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues



- BOOKS**
- माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—
1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) [www.herenow4u.de](http://www.herenow4u.de) (Eng.)
  2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
  3. अणुव्रत व मानवाधिकार
  4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
  5. बालकों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
  6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। (पुनः प्रकाशित)
  7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। (पुनः प्रकाशित)
  8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
  9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियाँ एवं परिवारों की निरस्तारण प्रक्रिया।
  10. आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
  11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
  12. महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। (पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)
  13. दलितों के अधिकार। (पुनः प्रकाशित)
  14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
  15. गिरफ्तारी (ARREST) (पुनः प्रकाशित)
  16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
  17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
  18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
  19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ (पुनः प्रकाशित-2008)
  20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in)
  21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
  22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
  23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
  24. Cyber Law.
  25. Copy-right Law.
  26. e-governance and Court Automation.
  27. Article-14 Right to Equality.
  28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
  29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
  30. Directive Principal of State Policies.
  31. Public Interest Litigations & others.

# जस्टिस एन.के. जैन की उत्कर्ष उपलब्धियां

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मानित अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन एक ऐसी संवेदनशील, विनयशील व कर्तव्य परायण प्रतिभा हैं, जो राजस्थान की जनता, जनप्रतिनिधि, लोकसेवक व प्रबुद्धजनों को मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट व जागरूक करने में अपने आपको समर्पित कर दिखलाया है। आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी हैं। मैं यह घोषणा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जस्टिस जैन से बार बार साक्षात्कार लिए हैं और हर बार उन्हें मानव अधिकार और कर्तव्य निर्वहन पर काम करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए और भ्रमण करते हुए मानव अधिकार व कर्तव्य बन गई हैं। वे सर्वत्र मानवीय संवेदनाओं व जीवनमूल्यों की खुशबू बिखेर रहे हैं। उनका प्रशासनिक कार्यालय एस.एस.ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर है, किन्तु आमजन में जन जागृति लाने के लिए वे स्कूल, कॉलेज, क्लब, सभा, सम्मेलन, वर्कशॉप, विश्वविद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएँ, फेडरेशन्स आदि में स्वयं उपस्थित दर्ज कराते रहकर "विचार व प्रचार" का दर्शन फलोभूत कराते हैं, अत वे लोकप्रियता व आत्मियता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुतः जस्टिस जैन "सिद्धान्त व व्यवहार" के समन्वय की अद्भुत मिसाल हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोग की पंचवर्षीय प्रगति-रिपोर्ट काफी रोमांचकारी है और राजस्थान के लिए गौरव जन्य उपलब्धियाँ हैं। प्रबुद्ध पाठकर्म के ज्ञानवर्द्धन हेतु प्रगति अंकड़े प्रेषित हैं-

विभिन्न कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों का प्रकाशन।

आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित कर स्कूल लाइब्रेरी में।

आयोग की अतुमति से समाजसेवियों ने करीब 6000 पुस्तकें पुनः प्रकाशित कराईं और निःशुल्क

वितरण की। संविधान आर्टिकल 51 ए को प्रतिभा के 80,000 से ज्यादा कलेक्ट्स और 50,000 पैम्फलेट्स छपवाकर राज्यभर में बंटवाये गये। कुछ संस्थाओं ने तो 4000 व्यक्तियों को ई-मेल भेजकर उक्त अभियान को परवान पर चढ़ाया है। आयोग द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का नियमित मुद्रण व प्रकाशन कर प्रोजेक्ट्स को फालोअप किया गया है। आयोग के 5 साल के कार्यकाप



आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी हैं।

में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) 16 न्यूज लेटर्स के अंक प्रकाशित करवाये हैं और वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित समय पर प्रेषित किए गए हैं।

कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं द्वारा आयोग में इन्टरशिप के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए और तैयार की गई हैं।

कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बालश्रम, पर्यावरण, रोगिंग, वुमेन ट्रेफिकिंग, कैसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल-जस्टिस, फीमेल फॉर्टीसाइड, आर्टिकल 51 ए, आयोग व आयोग की गतिविधियों व दिशानिर्देशों पर पॉवर-पाइंट प्रोजेक्ट तैयार किए।

आयोग ने 14 विषयों की सीडी और फिर 7 विषयों की सीडी तैयार की। विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सीडी संबंधित लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिखलाई जा रही है। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कार्य कई कमसोलोडेटेड सीडी का

अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों से अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है।

यह उल्लेखनीय है कि आयोग को पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवार प्राप्त हुए जिनमें से 16050 परिवारों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालकर निस्तारण

किया गया। इस वर्ष भी 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया जा चुका। यह प्रसन्नता का विषय है कि आयोग द्वारा प्रेषित 200 दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियान्वित कर आयोग को सूचित किया है।

जस्टिस एन.के.जैन (पूर्व मु.न्यायाधिपति मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट) वर्तमान चैयरपर्सन राजस्थान राज्य मानवअधिकार आयोग ने अपने साक्षात्कार में बार बार यह स्पष्टीकरण दिया है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्तव्य का निर्वहन समर्पित भाव से किया जाए। क्योंकि एक में ही पुष्टित व पल्लवित हो सकता है। मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन व क्रियान्वयन सम्पूर्ण मानव जाति को प्राथमिक आवश्यकता है। मानव की बन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वतंत्रता श्रीमद भागवत गीता के अन्दर दर्शायी गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह मुक्त कर उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कृष्ण ने यह भी संदेश दिया

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा तेसडोऽइत्थ कर्मणि।।"

अर्जुन का कर्तव्य है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करे और नपुंसकता त्यागे। युद्ध में हार-जीत की चिन्ता भी अर्जुन को नहीं करनी है क्योंकि फल-उसके हाथ में नहीं है, केवल कर्तव्य उसके हाथ में है।

आज हमारा देश विषद संविधान रखता है। उसी प्रस्तावना में मूलभावना दर्शायी गई है। देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। विधि विशेषज्ञ व अनुभव सिद्ध जस्टिस जैन अपनी अवधारणाओं में काफी सुस्पष्ट हैं। वे पीड़ितों, महिलाओं, बालकों व वृद्धजनों के प्रति समाज में सुन्दर व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं और सरकार व व्यवस्थापकों से मांग करते हैं कि पीड़ितों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात करे। जो गैर जिम्मेदाराना तत्व या असामाजिक तत्व मानव अधिकारों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए और समाज में सीहार्द व भाईचारा बचाना चाहिए। जैन धर्म में भी मानव अधिकारों का संरक्षण कर्तव्य निर्वहन में ही बतलाया गया है। आयोग द्वारा प्रकाशित "अनुव्रत एवं मानव अधिकारों" नामक बुकलेट में छोटी छोटी बातों का पालन करने पर बहुत बड़े अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा दर्शाया गया है। जस्टिस जैन का मन्तव्य है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव मूल्यों के शिक्षण में काफी मददगार हैं। हमें उक्त ग्रन्थों में से ऐसे प्रकरण खोजकर समाज के सम्मुख रखने चाहिए जिससे स्थाई लाभ मिल सके और हमारा विश्वास बढ़ सके।

वस्तुतः चैयरपर्सन जस्टिस एन.के.जैन ने राजस्थान को मानव अधिकारों के लिए जनजागरण करने में अपनी अमूल्य प्रतिभा का परिचय दिया है। आयोग की पंचवर्षीय प्रगति अभिनन्दनीय है, ऐसा मेरा अभिमत है।

- एम.एल. धौंकरिया

# मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रही



**ह**

जातीं साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष करने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चौंकते और हैरान हैं, क्योंकि मनुष्य समाज की खुद अब यह पता चला है कि उसका भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का रीनीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का बाजारिकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की श्रेणी बंधारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज़ पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लंग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

**इसनाकरुण** **वेद व्यास**

**राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।**

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियाँ अल्पसंख्यकीय ही गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथक्तावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएँ जाती, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता को कोख से ही जन्म ले रही है। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ़ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों को चाहे अब केवल अदालतों फिसली तक सीमित हो गई है। हमें समझना है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और अयमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून हैं, तो अन्याय और शोषण के अधिकार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र हैं। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु भनो-धनो से कोई यह नहीं पूछता कि- विद्यमान पर परमाणु बम धराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनी को उनकी मातृभूमि से बेदखल करके दिया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को दबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप को राजनीति क्यों घोषण रहा है? आज पूरे दुनिया के छोटे-बड़े देश इसलिए गुलामी के हीम समूह बनते जा रहे हैं कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और राष्ट्रपिता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा क्यों करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का बेरोजगार, चालू और चरित्र ही समाज और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी हैं तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं है। आजादी के बाद 1948 में तद्वृत्तता मायाका गांधी को हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी त्रिकूट उपद्रव भी इस बात के ही गवाह हैं कि मानवाधिकार के प्रति राज्य व्यवस्था को पोषित राजनीति में ज़ोरों जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए निष्पक्ष विरोधी दंगे और 25 साल पहले घोषण की गैस जालदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लोभपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी धेकसूर खाने वालों का भी कोई निष्पत्ता-नशा था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दारतान इसलिए भी बढ़ चरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन अस्तित्व में या सभी आयोग निहथे और प्रभावहीन हैं, क्योंकि यहाँ संरक्षणी संस्थाएँ ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियाँ, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलख निवासी और मद्रास से कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापी का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताएँ कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपत्तियों कहानी सुनी है, और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की कड़ी-कड़ाई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन दातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग को पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएँ जन सहयोग से छपवाकर अधिकतम स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी हैं तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रहा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक को भुमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ताओं की कार्यशीलता को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकारों को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

भ्रम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी समय समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अलखा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और दमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसलिए यहाँ सच्चा और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और अस्मानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक युवावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों को रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की पारसंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और भड़िलाएँ ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उन्नीड़न का शिकार हैं तथा जागरूकता का दमन भी अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में बताया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र ही हीन के समार हमारे मानवाधिकारों को है।

# Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

**"We are proud to be Indian"**

**It shall be the duty of every citizen of India:**

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

**"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."**

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

**For Legal awareness and in Public Interest published by :  
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur**

website : [rshrc.nic.in](http://rshrc.nic.in), [herenow4u.de](http://herenow4u.de) <http://justicenagendrakjain.com>

**Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur**

Phone : 0141-2751417, 2751352

## आर्टिकल-51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

( कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग हैं। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन.के.जे. ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51-ए में वर्णित मुख्य कर्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/ संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ-साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सराफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग,
7. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज 0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू-भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, (NIFESM) जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन- डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाड़ा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1 Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल. एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. लोकशिक्षक पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'मृत्युंजय' में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेंट लायन्स क्लब (District 323 E--1 Club No. 026309) व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabetics & Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी-74 धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक



आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षों में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोड़ते हुए मुहिम को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में वर्ष 2009-2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान-जागरूकता के कार्यक्रम को बढ़तो हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :-

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पिटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टैंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज [इण्डिया] जवाहर नगर, जयपुर [हिन्दी/अंग्रेजी]
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़ ।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन [धर्म संरक्षिणी] महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट *WORLD* जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी/ अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बड़ोरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

93. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका— 2010
94. समाचार जगत— समाचार पत्र में प्रकाशित
95. रौनक टाईम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित
96. 'दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र में प्रकाशित
97. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के 'राजस्थान चैम्बर संदेश' (अंक— अप्रैल—2010)
98. स्व0 गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा
99. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई अंचल कार्यालय— जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता
100. सेंट पॉल्स इंगलिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा
101. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर
102. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर
103. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर
104. हैल्प एज द्वारा *World Elder Abuse Awareness Day* पर
105. International Summer School of Jain Studies, New Delhi

**Reciting the Pledge - Fundamental duties mentioned in  
Article 51 - A, Constitution of India**  
"We are proud to be an Indian"

**It shall be the duty of every citizen of India :**

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- (j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

for legal awareness and in public interest published by -

**RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION**

sos building secretariat jaipur. [www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in) / [www.herenow4u.de](http://www.herenow4u.de)



# Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-



बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड।



Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.



Students reciting the pledge.



राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग  
 अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस  
 (10 दिसम्बर)

“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो-कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो!”  
 -अध्यक्ष : जस्टिस एन. के. जैन  
 (एवं मुख्य न्यायाधीश - न्यायालय व कर्नाटक हाईकोर्ट)

Rajasthan State Human Rights Commission

“BEWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION”  
 Chairperson : Justice N.K. Jain



“The destiny of  
**human rights**  
is in the hands of all  
our citizens in all our communities.”

*Eleanor Roosevelt*

# Acknowledgement

It gives us great pleasure to express our deep sense of gratitude to all concerned for the encouragement We have completed this project. We are very much thankful to Rajasthan State Human Rights Commission in particular Chairperson, Hon'ble Justice N. K. Jain for giving us a chance to do the internship in this Rajasthan Human Rights Commission.

Sushila Choudhary, Nivedita Soni

2<sup>nd</sup> year, B.A.L.L.B.(Hons.), FYILC, Deptt. Of Law, UOR,  
Jaipur, Rajasthan

# Bibliography



WIKIPEDIA



RIGHT to EDUCATION project  
promoting mobilisation and legal accountability

[www.rshrc.nic.in](http://www.rshrc.nic.in)



[www.unicef.com](http://www.unicef.com)

Thank you ...

